

[General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9]

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

मेहर सिंह पुत्र झाबर सिंह जाति जाट निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू आदि।	-बनाम-	ताराचन्द पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू आदि।
किस्म मुकदमा- दावा : घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती।		मु.नं. 153/2022 RCMS No
आदेश	कार्यवाही विवरण	
27.07.22	आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर द्वारा। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक वादी के खर्च पर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.09.2022 को पेश हो।	
8/9/22	<p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश की। शा.मि. की गई। पत्रावली वास्तु अग्रिम कार्यवाही के दिनांक 28/9/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर/अध्यापक/अन्यकार्य में उपलब्ध होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक को पेश हो</p>	
28/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी के बार-बार आवान लगवाने पर इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से वाद वादी सदन हाजरी एवं सदन पेशी के खातिर किया जाता है। पत्रावली केसल सुमाए होकर दर्ज कम्बल से कम हो तथा वाद तहसील जिला दाखिल वास्तु दे। निर्णय खुले न्यायालय से सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़</p>	